फर्द अहकाम

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

भंवरलाल पुत्र केलाराम मीणा निवासी निवारिया .बनाम तहसीलदार , देवली

किस्म मुकदमा.....अपील.....नं0.....62.....सन.....2017...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-11-2017	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मेमो के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन मय शपथ पत्र प्रस्तुत भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अभिभाषक अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। उन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.10.2017 द्वारा अपीलाण्ट को आराजी खसरा नम्बर 705 रकबा 5.10 हेक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम निवारिया तहसील देवली पर अनाधिकृत कब्जा करने के लिए अतिक्रमी मानते हुए शास्ति आरोपित करने, भूमि से बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का जो निर्णय पारित किया है वह गलत है। अपीलाण्ट को निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया न ही अपीलाण्ट की विधिवत रूप से व्यक्तिशः तामील कराई गई, अतिक्रमी का नोटिस किसी अनजान व्यक्ति भीमराज मीणा व्यक्ति ने प्राप्त किया है, मौके की वास्तविक स्थिति जाने बिना व बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा में अपीलाण्ट का बिना कब्जा साबित हुए पटवारी हल्का की दुर्भावना पूर्वक भुमि के के बारे में रिपोर्ट पर एकतरफा में निर्णय पारित किया है। कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाये एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय निरस्त किया जावे। हमने अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि अपीलाण्ट का नोटिस भीमराज मीणा ने प्राप्त किया तथा तामील कुनिन्दा को बताया कि वह भंवरलाल मीणा को सूचित कर देगा। इससे स्पष्ट होता है कि अतिक्रमी की व्यक्तिशः तामील नहीं कराई जाकर अन्य की तामील कराई गई है। जब अपीलाण्ट की तामील ही नहीं हुई तो सिविल कारावास जैसी कठोर सजा का निर्णय बिना अपीलाण्ट को सुने कैसे पारित किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 (प्रकरण संख्या 896/17) निरस्त किया जाता है, साथ ही प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार देवली को रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार देवली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17.011.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अति0 जिला कलेक्टर	5 5/1/18